प्रारूप-घ (संलग्नक-3)
औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

[आईडी संख्या: **UPFS/2025/166191/ALG/ALIGARH/3135/CFO**

दिनांक:**20-07-2025**

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SRK INTERNATIONAL SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **KHASRA NO 24 VILL-SAHARANPUR NEAR PARAG COLD,MATHURA ROAD,ALIGARH** तहसील - **KOIL** प्लाट एरिया **2300.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **3500.00** (वर्गमीटर), ब्लाकों की संख्या **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SRK INTERNATIONAL SCHOOL	3	0	11.43 mt.

। भवन का अधिभोग मैसर्स **SRK INTERNATIONAL SCHOOL** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का ाविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की धिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं क मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न रने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **SRK INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : Note: fso बन्ना देवी की प्रश्नगत शैक्षणिक भवन की अस्थाई noc निर्गत की संस्तुति निरीक्षण आख्यानुसार पर इस शर्त के साथ कि कि प्रश्नगत भवन के निर्माण के लिये अस्थाई अनापत्ति प्रश्नगत भवन निर्माण हैतु इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि उक्त भवन का निर्माण बेवसाइट ज्वाइंट रिपोर्ट पर अपलोड मानचित्रो के अँनुसार न कराने। up fire& Emmergency Act 2022व upF&E rules 2024 का अनुपालन न करने ।अधिभोग संरचना में बदलाव करने /भवन उपविधि मानको का अनुपालन न करने [सम्बंधित सत्तापराधिकारी के मानको का उल्लघंन करने तथा सचांलन से पूर्व,अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न करने की दशा में उक्त निर्गत provisl NOC को स्वतः निरस्त माना जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा । यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है ।"

इस्ताक्षर (निर्गत अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)

Digitally Signed By
(Mukesh Kumar)

[85DF6BE03EC05EC150FCC5B7FD591D0AD712110A]

18-08-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 18-08-2025
स्थान : ALIGARH